संख्या-381/22-4-2010-22/99

प्रेषक,

सत्य प्रकाश पंखा,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक-28 फरवरी,2010

विषयः- वित्तीय वर्ष 2009-10 में प्रदेश की कारागारों के लिए वाहन क्रय किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-5105/नजारत-4/वा0पु0/09-10, दिनांक-24.02.2010 एवं पत्र संख्या-5209/नजारत-4/वा0क्रय0/09-10 दिनांक-24.2.2010 में किये गये प्रस्तावों के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009-2010 में द्वितीय अनुपूरक मांग के माध्यम से लेखाशीर्षक 2056-जेलें-आयोजनेत्तर-101-जेल-03-समस्त कारागार-14-कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रदेश के कारागारों के निष्प्रयोज्य 11 वाहनों के स्थान पर 05 जिप्सी हार्डटॉप एवं 06 ओमिनी एम्बूलेंस का क्रय किए जाने हेतु कुल रु0-37,23,982.00 (रूपये सैंतीस लाख तेईस हजार नौ सौ बयासी मात्र) एवं जनपद लखनऊ में निर्मित कारागारों के लिए एक नई बस (24सीटर) तथा एक नई जिप्सी हार्ड टाप के क्रय किए जाने हेतु कुल रु0-11,96,410.00 (रूपये ग्यारह लाख छियानवें हजार चार सौ दस मात्र) अर्थात कुल रु0-49,20,392.00 (रूपये उन्चास लाख बीस हजार तीन सौ बानवें मात्र) की वित्तीय स्वीकृति महामहिम राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

(1) वाहन क्रय डी0जी0एस0एण्ड डी0 की दरों पर शासन द्वारा निर्गत सुसंगत नियमों/निर्देशों विशेष रूप से नये वाहनो के क्रय विषयक परिवहन अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-3552-टी /30-4-86-1-जे0बी0-78दि0-12.11.86 एवं शासनादेश संख्या-3264टी./30-4-8-के.एम./87दि0-11अगस्त, 1989 के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत सरकार/डी0जी0एस0एण्डडी0 द्वारा मोटर वाहनों की कीमत/दरों में किसी आदेश द्वारा यदि कमी/संशोधन किया है, तो इसकी जानकारी महानिरीक्षक, कारागार द्वारा की जायेगी और तद्नुसार कम/संशोधित दरों के अनुसार आपूर्तिकर्ता फर्म को भुगतान करने हेतु वास्तविक धनराशि ही आहरित की जायेगी ।

PTO

(3) महानिरीक्षक, कारागार वाहन क्रय करते समय इस समुचित रूप से विचार करके आकलन कर डी0जी0एस0एण्डडी0 के रेट कान्ट्रेक्ट पर उपलब्ध से कौन सा वाहन उनकी आवश्यकता और मितव्य दृष्टि से उपयुक्त है और तदनुसार ही क्रय सुनिश्चित

(4) क्रय की कार्यवाही पूर्ण होने पर महानिरीक्षक, कारा इसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी ।

(5) प्रश्नगत वाहनो का क्रय समस्त सुसंगत नियमो प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करते हु जायेगा।

(6) इन शर्तो का अनुपालन महानिरीक्षक, कारागार प्रश सुधार सेवाएं एवं कारागार मुख्यालय में तैनात वित्त सुनिश्चित करेंगे और इन शर्तो में किसी प्रकार के दि लिए वे उत्तरदायी होंगे।

2. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009 आय-व्ययक के अनुदान संख्या 25 के अर्न्तगत 2056-जेलें-आयोजनेत्तर-1 03-समस्त कारागार-14-कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय डाला जायेगा एवं उक्त मद से वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या ई-12-621/दस दिनांक-28 फरवरी, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पंखा)
अनु सचिव।

संख्या-381(1)/22-4-2010-तद् दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम,उ.प्र.,इलाहाब
2- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/
4- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्य प्रकाश पंखा)
अनु सचिव।